

जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 08.06.2021

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 06 साईकिल चोर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 4 साईकिल व एक हजार रुपये बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 07.06.2021 को चैकिंग के दौरान समय करीब 23.30 बजे गंगा बैकट हॉल के पास राजेन्द्र नगर से मुखबिर की सूचना पर 06 साईकिल चोर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी कब्जे से 4 अदद साईकिल चोरी



की बरामद हुई है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

चैकिंग के दौरान पकड़े गये अभियुक्त सोनू मेहतो व विकास उर्फ बबू से कड़ी पूछताछ करने पर उनके कब्जे से 4 अदद मास्टर चाबी व 1000रु0 बरामद हुए तथा बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु साईकिल चोरी करके उन्हे 1000-1000 रु0 में बेच देते है। और अधिक पूछताछ करने पर दोनो ने बताया की हमने जो साईकिल चोरी करके बेची है उन्हे हम बरामद करा देगे पकड़े गये अभियुक्तों की निशादेही पर चार अभियुक्त व चार चोरी की साईकिल विभिन्न स्थानों से बरामद की जिनके कब्जे से चोरी की साईकिल बरामद हुई है वह सभी नजीर रेस्टोरेन्ट पर मैनेजर व डिलेवरी वर्कर है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोनू मेहतो पुत्र जीवच प्रसाद मेहतो नि0 झिझारपुर मधुवनी बिहार हाल नि0 महाराणा प्रताप के सामने राजबाग कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष।
2. विकास कुमार उर्फ बबू पुत्र शशि भूषण प्रसाद नि0 बितनिया थाना जमौर जिला औरगांवाड बिहार हाल नि0 म0नं0 1 बिहारी कालोनी राजबाग कालोनी थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 19 वर्ष।
3. हरवीर सिंह पुत्र श्री कुशवीर सिंह नि0 रामनगर थाना रुस्तमगढ जनपद एटा हाल नि0 बाबूराम का माकान रेलवे कट राजीव कालोनी थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 32 वर्ष।
4. जय सिंह पुत्र श्री खेमचन्द्र नि0 कस्बा चन्दौसी जनपद सम्भल हाल नि0 म0नं0 829 गली नं0 13 मण्डोली थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 28वर्ष।
5. जितेन्द्र पुत्र श्री बनवारी लाल नि0 लौहारपुरा थाना जुनावई थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं हाल नि0 30616 विकास कुन्च बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद उम्र 28 वर्ष।
6. दिलीप उर्फ दीपक पुत्र श्री चरन सिंह नि0 कस्बा व थाना इगलास जिला अलीगढ हाल नि0 बाबूराम का मकान रेलवे कट राजीव कालानी थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 21वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 1268/2021 धारा 414,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद सोनू, विकास, दिलीप, जितेन्द्र, हरवीर, जय सिंह।
2. मु0अ0सं0 1260/21 धारा 379,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम सोनू, विकास, दिलीप।

बरामदगी का विवरण:-

1. 4 अदद चोरी की साईकिल बरामद।
2. बेची गई साईकिल के 1000रु0 नगद बरामद।

थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 लीटर यूरिया मिश्रित कच्ची शराब नाजायज व 250 ग्राम यूरिया खाद सहित गिरफ्तार किया.

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब ब्रिक्री/ माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्तो को एक कैन में 20 लीटर यूरिया मिश्रित कच्ची शराब_नाजायज व 250 ग्राम यूरिया खाद सहित गिरफ्तार किया ।

दिनांक 7/06/2021 को समय 21.30 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान हिण्डन पुल के नीचे से 01 अभियुक्त 1.अमित पुत्र ज्ञानपाल निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद को 20 लीटर यूरिया मिश्रित नाजायज कच्ची शराब व 250 ग्राम यूरिया खाद के साथ सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 330/21 धारा 60आब0 अधि0 व 272 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमित पुत्र ज्ञानपाल निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामदगी –

(1) एक प्लास्टिक की कैन मे 20 ली0 यूरिया मिश्रित नाजायज कच्ची शराब व 250 ग्राम यूरिया खाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0स0 330/21 धारा 60आब0 अधि0 व 272 भादवि



थाना कविनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 08.06.21 को समय 10.50 बजे अभियुक्त के मस्करन पर दबिश देकर मु0अ0स0 192/20 धारा 379 भादवि के वांछित अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र ओमपाल सिंह नि0 FK 1/29 (4) मधुबन बापूधाम मूल निवासी ग्राम पाली आनन्दगढी थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने साथी के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटना कारित की है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सोनू कुमार पुत्र ओमपाल सिंह नि0 FK 1/29 (4)मधुबन बापूधाम मूल निवासी ग्राम पाली आनन्दगढी थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर उम्र 20 वर्ष शिक्षा 12 वीं

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

1- मु0अ0स0 192/20 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

2- मु0अ0सं0 – 2864/18 धारा 354/323/324/34 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना लोनी पुलिस द्वारा दि0 05/06/2021 को ग्राम सिरौली में हुई वृद्ध व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

दि0 05/06/2021 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव सिरौली गांव के जंगल में संजय के खेत में मिट्टी में दबा है। जिसका एक घुटना दिखायी दे रहा है। इस सूचना पर श्री अतुल कुमार सोनकर क्षेत्राधिकारी लोनी व ओम प्रकाश सिंह प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे। शव को मिट्टी से बाहर निकलवाकर लोगो से पहचान कराई गयी तो शव की पहचान हरिया निवासी मथुरापुर थाना मुरादनगर गा0बाद के रूप में हुई। जिसके संबंध में वादी श्री विजय पुत्र स्व0 हरिया की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0748/2021 धारा 302/201/34 भादवि दर्ज किया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहा निरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद एवं श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 02 दिन के अन्दर घटना का सफल अनावरण किया गया। जिसमें अभियुक्त 1. दीपक पुत्र स्व0 कर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी गा0बाद 2. रवि पुत्र विजय निवासी भगोट थाना चांदीनगर बागपत 3. कपिल पुत्र रूपराम निवासी डगरपुर थाना खेकडा बागपत 4. झबरू उर्फ कालू उर्फ मनदीप पुत्र धर्मवीर उर्फ धर्मी निवासी डगर पुर थाना खेकडा जिला बागपत प्रकाश में आये। जिनमें से अभियुक्त रवि, झबरू व कपिल को आज दि0- 08/06/2021 को चिरौडी बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण नें पूछने पर बताया कि दि0- 03/06/2021 को दीपक नें हम तीनों को अपने काम के लिये बुलाया था। हम तीनों शांय करीब 06.00 बजे दीपक के घर में दीपक के पास पहुंच गये थे। वहां पर दीपक के नाना हरिया भी मौजूद थे। दीपक अपने नाना से कह रहा था कि भगोट गांव में जो तुमने अभी 20 बीघा जमीन ली है उसमें से 5 बीघा जमीन मेरे नाम कर दो अन्यथा तुम्हें इस जमीन को बरतने नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर दीपक काफी उत्तेजित था। फिर हम सब दीपक के घर में बैठ कर खाने पीने लगे। कुछ देर बाद दीपक की माँ घर में हरिया का खाना लेकर आ गयी थी उसने भी दीपक को समझाया था। लेकिन दीपक अपने नाना पर 5 बीघा जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। जब दीपक के नाना नें जमीन उसके नाम कराने से मना कर दिया तो दीपक नें कहा कि मारो साले को फिर हम सबने लात घूंसे से पीट पीट कर हरिया की हत्या कर दी और उसके शव को संजय के खेत में गड़ढा खोदकर दबाकर हम लोग फरार हो गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास -

- 1- अभियुक्त रवि पुत्र विजय निवासी भगोट थाना चांदीनगर बागपत
2. कपिल पुत्र रूपराम निवासी डगरपुर थाना खेकडा बागपत
3. झबरू उर्फ कालू उर्फ मनदीप पुत्र धर्मवीर उर्फ धर्मी निवासी डगर पुर थाना खेकडा जिला बागपत

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	0748/2021	302/201/34 भादवि	लोनी



थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

श्री अमित पाठक पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान चिरौडी बैरियर मेवला भट्टी रोड से दि0- 07/06/2021 को थाना ट्रोनिा सिटी से चोरी की गयी स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्त 1. नदीम उर्फ नंदू पुत्र जहीरुद्दीन निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड

गा0बाद 2. मोनू पुत्र सतवीर जावली टीलामोड को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा करीब 15 – 20 दिन पूर्व यह मोटरसाईकल थाना ट्रोनिका सिटी से चोरी करना स्वीकार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास -

- 1- अभियुक्त नदीम उर्फ नंदू पुत्र जहीरुद्दीन निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड गा0बाद
2. अभियुक्त मोनू पुत्र सतवीर निवासी जावली थाना टीलामोड

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	0766/2021	411/414 भादवि	लोनी
2.	0734/2021	379 भादवि	ट्रोनिका सिटी

बरामदगी:- एक स्पलेन्डर मोटरसाईकल इंजन नं0- 0812 चैसिस नं0- MBLHAR082HHE81623



थाना लोनी पुलिस द्वारा दिल्ली से चोरी का ई.रिक्शा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया ई-रिक्शा बरामद।

दि0 06/06/2021 को वादी श्री राजू दास पुत्र लक्ष्मी दास निवासी सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली द्वारा अपने ई.रिक्शा चोरी हो जाने के संबंध में दिल्ली के थाना शाहबाद डेयरी आऊटर नोर्थ दिल्ली में ई.एफ.आई.आर नं0 014682/2021 दर्ज करायी गयी। जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि ई.रिक्शा चोरी करके लोनी की तरफ लाया गया है। इस सूचना पर थाना लोनी पुलिस द्वारा घेराबंदी करके प्रभावी चैकिंग की गयी। चैकिंग के दौरान दि0- 07/06/2021 को सांय 18.10 बजे राशिद अली गेट लोनी से चोरी का ई.रिक्शा बरामद करते हुए अभियुक्त 1. वसीम पुत्र सिताबुद्दीन निवासी अमन गार्डन निठौरा रोड लोनी तथा 2. अंकित उर्फ गगन दीप पुत्र गजेन्द्र पाल सिंह निवासी बी 206वेस्ट कमल विहार थाना करावल नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास -

- 1- अभियुक्त वसीम पुत्र सिताबुद्दीन निवासी अमन गार्डन निठौरा रोड लोनी
2. अंकित उर्फ गगन दीप पुत्र गजेन्द्र पाल सिंह निवासी बी 206वेस्ट कमल विहार थाना करावल नगर दिल्ली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	014682/21	379 भादवि	शाहबाद डेयरी दिल्ली
2.	0765/2021	411/414 भादवि	लोनी



थाना लोनी पुलिस द्वारा नशीले पर्दाथो की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं नशीले पर्दाथो की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान बुधसिंह स्कूल के पास अंसार विहार से दि०-०८/०६/२०२१ समय ०८.०० बजे अभियुक्त शादाब पुत्र सल्लन निवासी खिचडीपुर पवन के मकान में किराये पर दिल्ली मूल पता ग्राम बरी निजामपुर थाना बिनावर जनपद बदायूँ को मय ११५ ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास

अभियुक्त शादाब पुत्र सल्लन निवासी खिचडीपुर पवन के मकान में किराये पर दिल्ली मूल पता ग्राम बरी निजामपुर थाना बिनावर जनपद बदायूँ

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	767/21	8/21 NDPS ACT	लोनी

बरामदगी:-

११५ ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ०१ अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से ३२० अदद अल्प्राजोलम नशीली टेबलेट बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीमदिनांक: 08.06.2021 समय 01.30 बजे कालका गढी चौक अम्बेडकर रोड चौकी क्षेत्र किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद सेदौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त मनोज पवार पुत्र हुकुम चन्द को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 320 टैबलेट नशीली एल्प्राजोलम नाजायद बरामद हुई जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0- 563/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं, रेलवे स्टेशन के आसपास पडे नशेडी व्यक्तियों को नशीली गोलियाँ बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मनोज पवार पुत्र हुकुमचंद निवासी A 11 गली न0 4 ओम नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनोज पवार पुत्र हुकुमचंद उपरोक्त

मु0अ0सं0-563/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद

- 1- मु0अ0सं0- 1140/19 धारा 420,467,468,471 भादवि व धारा 63, 72 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम
- 2- मु0अ0सं0- 1448/16 धारा 60,72 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम थाना साहिबाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 320 नशीली गोलियां अल्प्राजोलम अदद नाजायज बरामद

दिनांक 08.06.2021 थाना निवाडी

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान चैकिंग वांछित/संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद डा0 ईरज राजा महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्रीमान सुनील कुमार के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिओम सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.06.2021 को उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार, है0का0 733 रणवीर सिंह, का0 2564 अंकुलाल, द्वारा थाना हाजा के मु0अ0सं0-350/2021 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1-नीरज पुत्र महेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, 2-विशाल पुत्र रामभूल निवासी गली नं0 01 कृष्णा नगर कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये 08 किलोग्राम ब्रास स्कैप व वायर करीब 04 किलोग्राम सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

- 1-अभियुक्त द्वारा वादी के गोदाम से ब्रास स्कैप व वायर चोरी कर ले जाना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-नीरज पुत्र महेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद,
- 2-विशाल पुत्र रामभूल निवासी गली नं0 01 कृष्णा नगर कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1-अभियुक्तगण नीरज व विशाल उपरोक्त के कब्जे से 08 किलोग्राम ब्रास स्कैप, व वायर करीब 04 किलोग्राम बरामद किये गये।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1-मु0अ0सं0-350 / 2021 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना निवाडी गा0बाद

